

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 43/2015-2020

दिनांक: 13 नवम्बर, 2019

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक, (2015-2020) के पैरा 2.54 (घ) (iv) में नामित पत्तन के रूप में सूचीबद्ध करना।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा पैरा 2.54 (घ) (iv) में कट्टूपल्ली पत्तन के नाम को निम्नानुसार शामिल करते हैं:

मौजूदा पैरा 2.54 (घ) (iv)	संशोधित पैरा 2.54 (घ) (iv)
केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों के माध्यम से ही स्क्रेप का आयात किया जाएगा और निर्यातोन्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी किसी अपवाद की अनुमति नहीं होगी:- 1. चेन्नई, 2. कोचीन, 3. एन्नोर, 4. जेएनपीटी, 5. कांडला, 6. मुरगांव, 7. मुम्बई, 8. न्यू मंगलोर, 9. पारादीप, 10. तुतीकोरिन, 11. विशाखापत्तनम, 12. पिपावा, 13. मुन्द्रा, 14. कोलकाता और 15. कृष्णापट्टनम।	केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों के माध्यम से ही स्क्रेप का आयात किया जाएगा और निर्यातोन्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र के मामले में भी किसी अपवाद की अनुमति नहीं होगी:- 1. चेन्नई, 2. कोचीन, 3. एन्नोर, 4. जेएनपीटी, 5. कांडला, 6. मुरगांव, 7. मुम्बई, 8. न्यू मंगलोर, 9. पारादीप, 10. तुतीकोरिन, 11. विशाखापत्तनम, 12. पिपावा, 13. मुन्द्रा, 14. कोलकाता, 15. कृष्णापट्टनम और 16. कट्टूपल्ली।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 09 मई, 2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 03/2015-2020 के क्रम में, कट्टूपल्ली पत्तन को स्क्रेप के आयात के लिए नामित पत्तन के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

अमित यादव
(अमित यादव)

महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल: dgft@nic.in

फा० सं० 01/89/180/53/एएम-01/पीसी-2(ख)/खंड-VII/[ई-2382 से जारी]